(348)

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

# अधिसूचना

----------

सं0-1/चौ./दफा.90-01/2001- गृ.आ. 9339 पटना, दिनांक- 25/08/2006

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा चौकीदार सवर्ग की भर्ती, सेवा शर्त्तों एवं प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैः-

1- नाम, विस्तार तथा प्रारंभः-

1. ये नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 कहीं जा सकेगी ।
2. इसका प्रसार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
3. यह तुरंत प्रभावी होगा।

2- परिभाषाएँ :- (1) इस नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो- राज्यपाल से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल ।

(2) संवर्ग से अभिप्रेत है चौकीदार संवर्ग ।

(3) सदस्य से अभिप्रेत है चौकीदार संवर्ग में नियुक्त एवं नियुक्त होने वाले व्यक्ति ।

(4) 'जिला पदाधिकारी' से अभिप्रेत है वह पदाधिकारी जिसपर दांडिक विषयों से संबंधित जिलों के कार्यपालक प्रशासन का प्रभार हो, चाहे ऐसे पदाधिकारी का नाम कुछ भी क्यों न हो ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारः- नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है, किसी जिला के जिला पदाधिकारी ।

3- संवर्ग का गठनः-

1. विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी चौकीदार एवं दफादार इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे;
2. यह संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग होगा एवं संबंधित जिला पदाधिकारी इनके नियुक्ति पदाधिकारी तथा संवर्ग नियंत्रण पदाधिकारी होंगे ।

4- आरक्षण :- नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के नियम लागू होंगे एवं रोस्टर का अनुपालन जिला स्तर पर होगा ।

5- नियुक्ति :- (1) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित रूप से गठित समिति के द्वारा चौकीदारों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु अनुशंसा की जायेगी-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | जिला पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. | आरक्षी अधीक्षक | - | सदस्य |
| 3. | जिला के सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. | जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/ जनजाति के एक पदाधिकारी | - | सदस्य |

(2) <u>शैक्षणिक योग्यता</u>- चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होगी।

(3) अभ्यर्थी का चरित्र अवश्य ही अच्छा हो एवं उसके/उसकी चरित्र की जांच उनकी नियुक्ति के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा करवायी जाएगी।

(4) <u>उम्र सीमा</u>- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत उम्र सीमा संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

(5) अभ्यर्थी को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा । महिला अभ्यर्थी के मामले में यह शर्त लागू नहीं होगी ।

(6). चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय थाना क्षेत्र के अन्तर्गत होगा । सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जायेगा ।

(7) चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र नियोजनालय के माध्यम से जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित किये जायेंगे और इसका व्यापक प्रचार/ विज्ञापन/ संबंधित थाना/ पंचायत/ अंचल में किया जाएगा एवं सूचना संबंधित अंचल के सभी सार्वजनिक स्थानों पर लगायी जाएगी। आवेदन पत्र में नियोजनालय के निबंधन संख्या का उल्लेख आवश्यक होगा ।

6- <u>परिवीक्षा</u>- चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी । अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पायी जाय तो परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है । अगर बर्द्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय, तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।

7- <u>प्रशिक्षण</u>- परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को वांछित प्रशिक्षण में भाग लेना होगा।

8- <u>सम्पुष्टि</u>- परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद सेवा सम्पुष्ट की जा सकती है ।

9- वेतनमान- चौकीदार पद :- 2550-55-2660-60-3200

दफादार पद :- 2610-60-3150-65-3540

10- प्रोन्नति- नियम 5 में गठित समिति की अनुशंसा पर कार्यदक्षता तथा संतोषजनक कार्यकलाप के आधार पर चौकीदार के पद से दफादार के पद पर प्रोन्नति जिला स्तर पर रिक्तियों के विरुद्ध दी जा सकेगी जो वरीयता सह मेधा पर आधारित होगा ।

11- निरसन एवं व्यावृत्ति-

(क) बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-359 दिनांक 17.01.1990, 4060 दि0-04.05.05, 11741 दि0-07.12.05 संख्या-12094 दि0-11.11.2004 जो परिपत्र संख्या-11741 दि0-07.12. 2004 द्वारा संशोधित हो चुका है, को छोड़कर चौकीदार एवं दफादार की नियुक्ति/प्रोन्नति से संबंधित बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत ऐसे सभी नियम/आदेश/परिपत्र जो इन नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल है, प्रभावी नहीं रहेंगे।

(ख) ये नियम राज्य सरकार द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों संबंधी बनाये गये अन्य सभी नियमों के अतिरिक्त होंगे ।

12- जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, इसके संबंध में राज्य सरकार के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे । नियमावली प्रवृत होने के पूर्व की गयी संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्रवाई नियमावली के अधीन की गयी कार्रवाई समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अफज़ल अमानुल्लाह)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-1/चौ./दफा.90-01/2001- गृ.आ. 9339 पटना, दिनांक- 25/08/2006

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

346

ज्ञापांक-1/चो./क्का.90-01/2001- गृ.आ. 9339 पटना, दिनांक- 25/08/2006

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ जिलों के सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।